प्रकरण संख्या 12/2024 भंवरलाल बनाम श्रीमती सविता व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.07.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खाम की मादड़ी, पटवार क्षेत्र रख्यावल, तहसील मावली में आराजी नंबर 1711, 1712, 1717, 1718, 1719, 1721, 1722, 1727, 1729, 1731, 1733, 1736, 1740 कुल किता 13 रकबा 2.5658 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें विपक्षी संख्या 1 से 8 एवं खातेदार मोती पत्नी लालू प्रत्येक का 1/27 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 से 11 प्रत्येक का 1/9 हिस्सा, विपक्षी संख्या 12 का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। खातेदार मोती की मृत्यु होकर उसके विधिक वारिसान प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 8 हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 से 8 एक ही परिवार के सदस्य होकर उनका सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार है। विवादित आराजियात मौरूसी भूमि होकर भेरा पिता मोती लोहार के खातेदारी में दर्ज थी तथा भेरा के निधन के बाद विरासत से उनके पुत्र लालू, बडवा व केशा उर्फ केशूलाल के नाम दर्ज हुई। लालू के निधन के बाद उसके पुत्र भंवरलाल व अन्य वारिसान विपक्षी संख्या 2 से 8 के नाम दर्ज हुई, जिसमें विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज कुलिया भूमि में हम प्रार्थीगण का जन्म से अधिकार होकर अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन विवादित आराजियात विपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज हो जाने से भू–माफियाओं से मिलकर खुर्द–बुर्द करने पर उतारू हैं तथा हम प्रार्थीगण को अपने हक अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि में प्रार्थीगण को उसके हिस्से व कब्जे की भूमि में शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करने तथा मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.07.2023 को अंतरिम निषेधाज्ञा जारी करते हुए अगली पेशी दिनांक 17.08.2023 तक विपक्षीगण को मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलार्थी / विपक्षी संख्या 1 द्वारा यह अपील	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:45:24 IST
Reason: SelfAttested

इस न्यायालय में दिनांक 30.04.2024 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल डांगी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 से 13 की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की उन्हें जानकारी नहीं थी, क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनकी अनुपस्थिति में उन्हें बिना सुने निर्णय पारित किया गया है। दिनांक 15.04.2024 को जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी है, जिससे अपीलान्ट को तत्समय उक्त आदेश की जानकारी हो गयी हो, ऐसा पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित करने से पूर्व उनको नोटिस दिया जाकर न्यायहित में सुना जाना आवश्यक था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलान्ट को बिना सुने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के पक्ष में अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रकरण विधिवत सुनवाई कर एवं जवाबदावा लेकर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:45:24 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 ने लिखित बहस प्रस्तुत कर उसमें वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया विवादित आराजियात मौरूसी होकर हम प्रार्थीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 का

जन्म से अधिकार होने से अधिनस्थ न्यायालय ने हमारे पक्ष में अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 से 13 के विद्वान अभिभाषक ने प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत कर बताया कि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट आपस में पिता/पुत्र व पुत्री होकर सम्पूर्ण भूमि पर अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली है, जिससे उक्त आराजियात के अन्य सहखातेदारों के हक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं तथा पिता द्वारा गलत आधारों पर प्रकरण में डिले करने हेतु उक्त अपील प्रस्तुत की गयी है, जो सुनवाई योग्य नहीं होने से इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2077 से 2080 में विवादित आराजी नंबर 1711, 1712, 1717, 1718, 1719, 1721, 1722, 1727, 1729, 1731, 1733, 1736, 1740 कुल किता 13 रकबा 2. 5658 हैक्टर भूमि विपक्षीगण की सहखातेदारी में दर्ज होकर उसमें विपक्षी संख्या 1 अर्थात अपीलान्ट भंवरलाल का 1/27 हिस्सा दर्ज है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की गयी है वह सम्पूर्ण आराजियात बाबत् जारी की गयी है, जिससे अन्य सहखातेदारों के हम प्रभावित होना प्रथम दृष्टया स्पष्ट है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा का आदेश त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 68/2023 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30.07.2023 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में सभी पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर दो माह में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.08.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 10.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:45:24 IST
Reason: SelfAttested